

Continuation Note Sheet

२०-४-१९

पगावली पेशा हुई। वकील वादी द्वारा पूर्व में
No Instruction किया हुआ है। पूर्व में दो पेशीयों
के पश्चात भी वादीगण न्यायालय में उपस्थित
नहीं हुए। आज बार-बार आवाजें लगावाइ गई
किंतु कोई उपस्थित नहीं। वादीगण के उपस्थित
नहीं होने पर बाद अदम हाजरी अदम पैरवी
में खारिज किया जाता है। पगावली नमूने से
काम की जाकर बाद तकमील जायता दारिखल
दस्तावे हो।

^{५२}
(मुकेश बरड)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर